भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं.666
दिनांक 6.12.2023 को उत्तर देने के लिए

डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र

प्रश्न सं.666: श्री भोलानाथ (बी.पी.सरोज):
श्री प्रताप सिम्हा:
श्री एल.एस.तेजस्वी सूर्या:
डॉ. उमेश जाधव:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 2014 से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रदान कर रही है और यदि हां, तो उक्त के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के साथ-साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार के पास 2014 में डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के आरंभ होने के बाद से इसके अंतर्गत जारी किए गए प्रमाणपत्रों की कुल संख्या के बारे में कोई ब्यौरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा पेंशनभोगियों के लिए योजना को और अधिक सुलभ बनाने के लिए क्या अतिरिक्त उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) जी हां महोदय, डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र(डीएलसी) अंगूठे को स्कैन करके, आईरिस स्कैन करके तथा फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग करके जनरेट किए जाते हैं।

(ख) जी हां महोदय, 2014 में डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र आरंभ होने के बाद से इसके अंतर्गत जारी किए गए प्रमाणपत्रों की कुल संख्या के बारे में ब्यौरा उपलब्ध है। डीएलसी के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

अवधि(1 अप्रैल – 31 मार्च)	**कुल डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र**	**कुल केंद्रीय सरकारी कर्मचारी**
2014-2015	**109751**	**92658**
2015-2016	**1315150**	**726102**
2016-2017	**5058451**	**1102313**
2017-2018	**9901542**	**1262258**
2018-2019	**8994834**	**1503144**
2019-2020	**9965509**	**1901710**
2020-2021	**9897459**	**1957862**
2021-2022	**11191451**	**2372562**
2022-2023	**14129489**	**4269529**
2023- 28 नवंबर, 2023	**11310388**	**3789571**

(ग) पेंशनभोगियों के लिए योजना को अधिक सुलभ बनाने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- लघु संदेश सेवा(एसएमएस), सोशल मीडिया पर ट्वीट करके, मानक संचालन प्रक्रिया(एसओपी) तथा यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लघु फिल्में पोस्ट करके इसका समुचित प्रचार किया गया है।

- मोबाइल फोन का प्रयोग करके फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से डीएलसी जमा करने का एक नया मोड लॉन्च किया गया।

- नवंबर, 2022 में, बैंकों, पेंशनभोगी कल्याण संघों और मंत्रालयों/विभागों के समन्वय से राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान आयोजित किया गया, जिसमें पेंशनभोगियों के लिए डीएलसी जमा करने के लिए कई शिविर आयोजित किए गए। इस संबंध में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण(यूआईडीएआई) तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय(मेटी) को भी तकनीकी मदद के लिए सम्मिलित किया गया।

- नवंबर, 2023 के दौरान, विभाग ने पेंशन संवितरण बैंकों, मंत्रालयों/विभागों, यूआईडीएआई और मेटी के माध्यम से 100 शहरों में 500 स्थानों को कवर करते हुए राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 2.0 का आयोजन किया है। इस प्रकार के समर्पित अभियानों ने पेंशनभोगियों को अपने घर बैठे हुए आसानी से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने में सक्षम किया है।

- पेंशनभोगी जागरूकता कार्यक्रम, बैंकर्स जागरूकता कार्यक्रम, सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श नियमित आधार पर, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पर आयोजित किए जाते हैं ताकि डीएलसी, विशेष रूप से फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के बारे में सबको जानकारी दी जा सके और उसे लोकप्रिय बनाया जा सके।

***